रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एस० एम०/13-14/96.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 16 नवम्बर, 1996/25 कार्तिक, 1918

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 28 अक्तूबर, 1996

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए०(5) 364/75-15009-17.—प्रधान, ग्राम पंचायत सोझा के विरुद्ध की गई शिकायत पर मामले में जिला अंकेक्षण अधिकारी मुख्यावास से प्रारम्भिक छानबीन रिपोर्ट के आधार पर श्री नीम चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत सोझा, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, ग्राम पंचायत की धनराशि के छलहरण व अनियमित एवं अनाधिकृत रूप से अपने पास रखने जैसे निम्न आरोपों से प्रथम दृष्टि से संलिप्त लगते हैं :—

1. यह कि उनके द्वारा प्राथमिक पाठशाला भलाण के मस्ट्रोल अप्रैल, 1989 तथा खेल मैदान उच्च पाठशाला बैहली के मस्ट्रोल अप्रैल, 1989 के अनुसार चिरंजी लाल पुत्र श्री देव स्ताई तथा

3259-राजपत्र/96—16-11-96—1,226. (5165) मूल्य : 1 रुपया।

नीलकण्ठ पुत्र श्री सागर चन्द श्रमिकों की उपस्थितियां एक मास के दो भिन्न-भिन्न कार्यों में लगातार पंचायत की धनराशि का दुरुपयोग किया व खर्चा पंचायत कैशबुक में दर्ज कर दिया गया है ।

2. बैहली भलाण रास्ता मस्ट्रोल फरवरी, 1989 तथा शौचालय उच्च पाठशाला बैहली के मस्ट्रोल फरवरी, 1989 के अनुसार श्री तेज सिंह पुत्र श्री दौलत राम श्रमिक की हाजरी एक ही मास के दो विभिन्न-विभिन्न मस्ट्रोलों में लगातार क्रमशः 272/- रु0 एवं 240/- रु0 का दुरुपयोग किया गया जो खर्चा रोकड़ में जमा है ।

3. यह कि प्राथमिक पाठशाला भवन भलाण 9/88 के अनुसार मु0 465.00/- रुपए कैशबुक में खर्चा दर्ज किया है परन्तु एक श्रमिक की 33 दिनों की हाजरियां लगाई गई हैं जबकि माह सितम्बर में केवल 30 ही दिवस होते हैं । इससे स्पष्ट होता है कि मस्ट्रोल फर्जी भरा गया है ।

4. यह कि उच्च पाठशाला बैहली मस्ट्रोल 1/89 के अनुसार तथा पंचायत घर निर्माण के मस्ट्रोल 1/89 के अनुसार श्री चेत राम पुत्र श्री रागि सिंह की उपस्थितियां एक ही मास के दो विभिन्न-विभिन्न मस्ट्रोलों में लगातार लगाकर धनराशि का दुरुपयोग किया है ।

5. पटवारखाना मस्ट्रोल 2/91 के अनुसार 2272/- रु0 दर्ज है मस्ट्रोल के अनुसार 22.50 रुपये प्रतिदिन की दर से प्रति मजदूर 8 दिन के 180 रुपये बनते हैं परन्तु 264/- रुपए की अदायगी करके श्रमिकों के कुल 420/- रुपए की राशि का दुरुपयोग प्रधान द्वारा किया गया है ।

6. यह कि उक्त प्रधान द्वारा वाउचर नं0 16 दिनांक 31-12-91 को प्राथमिक पाठशाला अण् हेतु 15 बैग सुन्दरनगर से भलाण तक के श्री भूप सिंह गाड़ी नं0 5085 को 225/- रुपए दर्ज है । परन्तु इसी व्यक्ति को 15 बैग सीमेंट, शीट व अन्य चादरों की ढुलवाई सुन्दरनगर से भलाण 280/- रुपए दर्ज है । इस प्रकार पहले वाला 225/- रुपए का झूठा व्यय कैशबुक में प्रधान द्वारा दर्ज करवाया गया है ।

7. यह कि उक्त श्री नीम चन्द द्वारा निम्नलिखित विकास कार्यों हेतु भी एक ही मास के विभिन्न मस्ट्रोलों में एक ही व्यक्ति की उपस्थितियां लगाकर राशि का दुरुपयोग किया गया है :—

क्रमांक 1	नाम योजना 2	मस्ट्रोल 3	नाम श्रमिक 4	राशि अदायगी 5
1.	पंचायत घर पुराना	10/89	देवी राम पुत्र मथरू	20 दिन 20 रु0 प्रतिदिन दर पर = 400/- रुपये ।
2.	रिटेनिंग वाल पंचायत घर	10/89	—यथोपरि—	20 दिन 20.25 रुपये = 405/- रुपये ।
3.	रास्ता सारेहनी से करगाल	9/89	प्रेम लाल पुत्र श्री रवि राम ।	18 दिन 20/- रु0 = 380 रुपये ।

1	2	3	4	5
4.	रिटेनिंग वाल प्राथमिक पाठशाला वैहली ।	9/89	–यथोपरि–	21 दिन 20.25 रुपये =284.75 रुपये ।
5.	प्राथमिक पाठशाला भवन भलाण ।	10/89	नीलकण्ठ पुत्र श्री गामर चन्द ।	10 दिन 20/- रु0 = 200 रुपये ।
6.	रिटेनिंग वाल पंचायत घर	10/89	–यथोपरि–	20 दिन 20.25 रुपये =405/- रुपये ।
7.	रसोई पंचायत घर	8/91	नीम चन्द पुत्र श्री लच्छी राम ।	18 दिन 30/ रु0 = 540/- रुपए ।
8.	रिटेनिंग वाल पंचायत घर	8/91	–यथोपरि–	30 दिन 35/- रु0 = 1050/- रुपये ।

8. नकद बकाया राशि :

श्री नीम चन्द वर्ष 1985 में प्रधान पद पर निर्वाचित हुए थे । उन द्वारा वर्ष 1985 से लेकर निरन्तर नकद राशि अपने पास हजारों रुपये के हिसाब से रखकर दुरुपयोग किया है जबकि पंचायती राज अधिनियम में पंचायत की नकद राशि प्रधान को रखने का कोई प्रावधान नहीं है ।

उपरोक्त वर्णित आरोपों में तथ्यों की वास्तविकता को जानने व मामले में पूरी स्थिति सामने लाने के लिए सरकार द्वारा नियमित जांच करवाने का जनहित में निर्णय लिया गया है ।

अत. हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उन शक्तियों के अधीन जोकि उन्हें पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 के अधीन प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए श्री नीम चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत सोझा, तहसील, सुन्दरनगर, जिला मण्डी के विरुद्ध जिला पंचायत अधिकारी मण्डी को जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं तथा साथ ही निरीक्षक पंचायत विकास खंड सुन्दरनगर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है जो कि पंचायत के रिकार्ड के साथ-साथ सरकार का पक्ष भी रखेंगे । श्री नीम चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत सोझा को यह नोटिस दिया जाता है कि वह जांच अधिकारी के सम्मुख अपना पक्ष लिखित रूप में प्रस्तुत करें कि क्यों न उन्हें पंचायती राज अधिनियम की धारा 146 (1) (ख) के अन्तर्गत पदच्युत किया जाए ।

हस्ताक्षरित/-
उप-सचिव ।

अधिसूचना

शिमला-2, 6 नवम्बर, 1996

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (3) 4/96-15463-84.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का 4) की धारा 130 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला

कांगड़ा, चम्बा तथा सिरमौर के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम पंचायत पदाधिकारियों द्वारा अपने पदों से त्याग-पत्रों को उनके नामों के आगे दर्शाई गई तिथि से स्वीकृत करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं :—

अनुसूची

क्रम	जिला/विकास खण्ड का नाम	नाम पदाधिकारी	पद, ग्रा0 पं0/पं0 स0	दिनांक
	जिला कांगड़ा :			
1.	पंचरुखी	श्रीमती उर्मिला देवी	पंच, ग्रा0 पं भवारना	26-8-96
2.	भवारना	श्री होशियार सिंह	पंच, ग्रा0 पं भोडा	13-9-96
	जिला चम्बा :			
3.	भरमौर	श्री धर्म चन्द	उप-प्रधान, ग्रा0 पं बड़ग्रां	20-8-96
	जिला सिरमौर :			
4.	शिलाई	श्री बलवन्त सिंह	उप-प्रधान, ग्रा0 पं0 नैनीधार	20-8-96

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
वित्तायुक्त एवं सचिव ।

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी (पंचायत) (उपायुक्त), ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

शुद्धिपत्र

ऊना, 6 नवम्बर, 1996

संख्या पंच-ऊना (निर्वाचन) 30/95-5070-5119.—इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या पंच-ऊना (निर्वाचन) 30/95-176-224, दिनांक 20 जनवरी, 1996 में आंशिक संशोधन करते हुए क्रम संख्या 2 ग्राम पंचायत चौली के वार्ड नं0 3 में वर्तमान प्रविष्टि "श्री करतार सिंह सुपुत्र श्री तुलसी राम, गांव व डाकघर भिण्डला" के स्थान पर "श्री रणजीत सिंह सुपुत्र श्री कृष्ण चन्द, गांव व डाकघर भिण्डला" पढ़ा जाए ।

ए0 जे0 वी0 प्रसाद,
उपायुक्त,
जिला ऊना (हि0 प्र0) ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।